(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां संबंधित उच्च स्तरीय समिति

1860. **श्री रामगोपाल यादवः क्या शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, यदि हां, तो यह कब और किसकी अध्यक्षता में गठित की गयी थी और इसके सदस्यों के साथ समिति के सदस्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति के कार्य एवं अधिकार क्या थे;

(ग) क्या उक्त समिति ने भविष्य में अनधिकृत कालोनियों के फैलाव को रोकने हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और सरकार द्वारा किस रूप में लागू कि जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी० डब्ल्यू० पी० सं० 4771/93 में अपने दिनांक 9.12.96 के आदेश में सचिव, शहरी विकास विभाग को निदेश दिया था कि दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जिसमें संबंधित अधिकरणों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कम से कम 2-3 लोकहित चिन्तक भी शामिल हो। तदनुसार, 1.11.1996 को गठित एक उच्च स्तरीय समिति का दिनांक 24.12.1996 को पुनर्गठन किया गया। उच्च स्तरीय समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए है (नीचे देखिए) समिति ने उच्च न्यायालय को उनके द्वारा मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मामला अभी न्यायाधीन है।

विवरण

(1) उच्च स्तरीय समिति का गठन

1. श्री एन० सी० सिंह — अध्यक्ष
   सचिव (यू डी)
   शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
2. श्री पी०वी० जयकृष्णन — सदस्य
   मुख्य सचिव
   रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. श्री हेमेन्द्र कुमार — सदस्य
   अपर सचिव (यू डी)
   शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
4. उपाध्यक्ष — सदस्य
   दिल्ली विकास प्राधिकरण
5. श्री जगदीश सागर — सदस्य
   प्रधान सचिव (यू डी)
   रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकर
6. श्री बी० एस० मिन्हास — सदस्य
   संयुक्त सचिव
   शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
   शहरी विकास विभाग
7. श्री वी० के० दुग्गल — सदस्य
   आयुक्त
   दिल्ली नगर निगम
8. श्री आई० ए० खान —सदस्य
   अध्यक्ष
   नई दिल्ली नगर परिषद
9. महाप्रबंधक — सदस्य
   दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान
10. श्री राकेश मोहन — सदस्य
    अपर आयुक्त (डब्ल्यू एस)
    दिल्ली नगर निगम
11. श्री कृष्ण लाल शर्मा, संसद सदस्य— सदस्य
12. श्री जग प्रवेश चन्द्र — सदस्य
    विधायक, रा० रा० क्षेत्र दिल्ली
    सरकार
13. श्री शोएब इकबाल, विधायक — सदस्य
    रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार
14. श्री एस० पी० एस० परिहार — संयोजक सदस्य

(2) उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषयः—

(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की समस्या पर विचार करना तथा इसके कारणों का विश्लेषण करना।

(ख) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की समस्या से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देना जिनमें दिल्ली की उन कालोनियों को नियमित करने से पहले से बसी है, जिन्हें खतरा नहीं या खतरा न जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा में कोई खतरा नहीं पहुंचती, को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश भी सम्मिलित है

(ग) भविष्य में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(घ) नियमितीकरण के लिए कालोनियों पर विचार करने से पूर्व आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर विचार करना।

(ङ) यह विचार करना कि मौजूदा अनधिकृत कालोनियों में से कितनी कालोनियों में ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं तथा इकाई की अनुमानित लागत और समय सीमा, जिसमें ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है।

(च) ऐसी कालोनियों का पता लगाना जिनमें अधिक लागत अथवा तकनीक समस्याओं अथवा अन्य कारणों से ये सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

(छ) उन कालोनियों का पता लगाना जिन्हें सुविधाओं की कमी अथवा अन्य कारणों से नियमित नहीं किया जा सकता तथा इन अनधिकृत कालोनियों को स्थानांतरित करने के उपायों का सुझाव देना।

(ज) इन कालोनियों के स्थानांतरण में लगने वाले समय तथा उपायों का सुझाव देना जिसमें इनमें से कुछ कालोनियों को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली के आस-पास नगर क्षेत्रों का निर्माण तथा इन क्षेत्रों में मुहैया कराई जाने वाली सुविधायें भी शामिल हैं।

RE. STARRED QUESTION NO. 202 ANSWRED ON 6TH AUGUST 1997

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव:: माननीय उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सदन से न तो कोई तथ्य छुपाना चाहता हूं और न ही सदन को किसी भी प्रकार गुमराह करना चाहता हूं।

वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान स्वीडन की मिग्रो कम्पनी से आयुध निर्माणी बोर्ड ने 10 करोड़ 14 लाख रुपये के छोटे-छोटे पुर्जे खरीदे हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड ने आपूर्तिकर्ता मिग्रो से इस तरह का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था कि पुर्जों का मिग्रो द्वारा स्वयं निर्माण किया जाता है। सरकार की तरफ से उस वक्त ऐसे निर्देश भी जारी नहीं किए गए थे कि खरीद से पहले ऐसे प्रमाण-पत्र लिये जाएं। तथापि स्वीडन में भारतीय दूतावास ने आयुध निर्माणी बोर्ड को इस बात की पुष्टि की थी कि मिग्रो ए॰ बी॰ एक स्वतंत्र कंपनी है और गोला-बारूद तथा हथियारों के पुर्जों की मूल निर्माता है।

28.02.97 को रक्षा मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि विदेशी फर्मों से सभी खरीद के समय यह प्रमाण-पत्र भी लिया जाएगा कि विशेष सामग्री का स्वयं उत्पादन करता है।

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA (Uttar Pradesh): Madam, this is important. I want to know whether during the last five years there have been such cases where goods have been bought from middle companies and the manufacturers' names have not been disclosed. I mean that we have substituted agents by middle companies. This is not the only case. There may be many others. I want this House to be enlightened as to how many such cases exist.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, yesterday there was a Starred Question. If information could be furnished the next day, why was it not furnished yesterday itself? (*Interruptions*) It is not a healthy practice.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But he has brough it. We should appreciate that he has brough it. Some people don't even bring it.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: A detailed statement on this should be laid on the Table.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): We must appreciate that at least the very next day he brough it.

SHRI NARENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): There will be serveral cases where defence goods have been purchased through agents. We would like to seek clarifications. How many countries are selling their goods to India without agents, and how many countries are selling their goods to India through agents? We must have clarity on the point.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Madam, it is not a question of agents.

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra) There was no reply to the question yesterday. You also mentioned about it. But today he has come to the House. It is highly objectionable.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Should be objectionable.